भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1046

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

कोयला खान पेंशन स्कीम

1046. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंगरेनी कोयला खान तथा अन्य कोयला कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोयला खान पेंशन स्कीम (संशोधित), 1998 (सीएमपीएस) के अंतर्गत अंतिम बार पेंशन कब दी गई थी;

(ख) क्या यह संशोधन कोयला खान पेंशन स्कीम (संशोधित), 1998 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक तीन वर्ष पर हुआ है और यदि हां, तो सभी संशोधनों सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार 12वीं लोक लेखा समिति (पीएसी) रिपोर्ट जिसे 18 मार्च, 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, द्वारा अनुशंसित संशोधनों को पेंशन स्कीम में लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : निधि में अंशदान और पेंशन संवितरण के बीच व्यापक अंतर होने के कारण 31 मार्च, 1998 को लागू होने के बाद से कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) 1998 के तहत शामिल सिंगरेनी कोलयरीज और अन्य कोयला कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में पेंशन निधि के मूल्यांकन और समीक्षा का प्रावधान है। आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), न्यासी बोर्ड (बीओटी), सीएमपीएफओ द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं। पेंशन फंड में अनुमत होने पर, बीओटी बीमांकक की सिफारिश पर और केंद्र सरकार के अनुमोदन से योजना के तहत देय अंशदान की दरों या स्वीकार्य किसी भी लाभ के पैमाने या अवधि जिसके लिए इस तरह के लाभ की अनुमति दी जा सकती है, में संशोधन कर सकता है।

बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और इसे निधियों को संधारणीय बनाने हेतु नियत लाभ के लिए निर्धारित अंशदान, पेंशनभोगियों की संख्या, सक्रिय कामगारों की संख्या, उनके आश्रितों आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बीओटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तथापि, केंद्रीय व्यापार संघों के प्रतिनिधियों, जो बीओटी के सदस्य भी हैं, के प्रतिरोध के कारण, पेंशन अंशदान को बढ़ाने के लिए बीमांकक की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 से निधि में अंशदान को पूर्ववर्ती 4.91 प्रतिशत से संशोधित कर 14 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके बावजूद, निधि में अंशदान संवितरण से कम है। संग्रहण और संवितरण के बीच अंतर के कारण पेंशन बढ़ाने से संबंधित संशोधन संभव नहीं था। पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान संग्रहण और संवितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्त वर्ष	**संग्रहण (करोड़ रूपए में)**	**संवितरण (करोड़ रूपए में)**
2017-18	1031.00	2459.81
2018-19	3084.12	2842.29
2019-20	3519.14	3369.57
2020-21	4520.14	3831.54
2021-22	4187.82	4449.74

बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन की निवल देयता 31 मार्च, 2015 को 40,976.64 करोड़ रु. थी जो 31 मार्च, 2019 को बढ़कर 42,391.63 करोड़ रुपये हो गई है।

(ग) : सरकार ने पेंशन योजना में संशोधन के लिए 12वीं पीएसी रिपोर्ट की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और सैद्धांतिक रूप से सहमत है। तदनुसार, इस मामले को समय-समय पर अपनी बैठकों में बीओटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था; तथापि, केंद्रीय व्यापार संघ के प्रतिनिधियों के प्रतिरोध के कारण कोई सहमति नहीं बन सकी।

****